



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 17 फरवरी, 2026

माघ 28, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 632/नौ-1-2026-1958523

लखनऊ, 17 फरवरी, 2026

शुद्धि-पत्र

प0आ0-43

शासन की अधिसूचना संख्या 4577/9-1-2025-1958523 दिनांक 14 नवम्बर, 2025 द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 2 सन् 1916) की धारा 56 के अन्तर्गत कतिपय नगरीय निकायों, निकायों के अध्यक्ष/सदस्यों की मृत्यु के उपरान्त रिक्ति की घोषणा की गयी है।

2- उक्त अधिसूचना में उल्लिखित तालिका के क्रमांक 2 पर त्रुटिवश नगर पंचायत रामनगर, बाराबंकी के वार्ड सं0 3 के सदस्य श्री श्याम मोहन शुक्ल की मृत्यु के उपरान्त दिनांक 21 मार्च, 2025 से रिक्ति घोषित किया जाना अंकित किया गया है। जबकि उक्त के स्थान पर नगर पंचायत रामनगर, बाराबंकी के वार्ड सं0 7 के सदस्य श्री श्याम मोहन शुक्ल की मृत्यु के उपरान्त दिनांक 21 मार्च, 2025 से रिक्ति घोषित किया जाना अंकित होना चाहिए था।

3- अतएव उपरिसंदर्भित अधिसूचना दिनांक 14 नवम्बर, 2025 के प्रथम प्रस्तर में उल्लिखित तालिका के क्रमांक 2 के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित "(सदस्य)/03" के स्थान पर "(सदस्य)/07" पढ़ा/समझा जाय। उक्त अधिसूचना दिनांक 14 नवम्बर, 2025 को उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है तथा उक्त अधिसूचना की शेष बातें यथावत् रहेंगी।

आज्ञा से,

सत्य प्रकाश पटेल,

विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 416 राजपत्र-2026-(1277)-599+20=619 प्रतियाँ (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।